रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236389
CG-DL-E-08062022-236389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 425(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 22 फरवरी, 2022 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 140 (अ), तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख से जिसकों उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 22 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (यठ) और खंड (ययक) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (1) और धारा 98 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्.-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम़ 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(ख) "विद्यमान जलयान" अथवा "विद्यमान अंतर्देशीय जलयान'' से ऐसा कोई अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है जो कोई नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है, जो अधिनियम की धारा 3 के खंड (थ) के अधीन यथा परिभाषित "अंतर्देशीय जलयान'' की परिभाषा के क्षेत्र के भीतर आता है;

(ग) "प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण" से निम्नलिखित में से कोई भी अभिप्रेत है—

(i) जलयान के सकल टन भार में दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन;

(ii) जलयान के प्रकार का परिवर्तन;

(iii) नोदन प्रणाली या मुख्य इंजन या ईंधन के प्रकार में परिवर्तन;

(घ) "नया अंतर्देशीय जलयान" से ऐसा कोई अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है जिसका इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् नौतल रखा गया है या जो संनिर्माण के समान चरण में है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **विद्यमान अंतर्देशीय जलयान द्वारा अनुपालन.— (1)** सभी विद्यमान अंतर्देशीय जलयान, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे:

परंतु विद्यमान अंतर्देशीय जलयान जो प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण के अधीन हैं, इन नियमों में विनिर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाओं का पालन करेंगे जो पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए;

परंतु यह और कि नोदन प्रणाली अथवा मुख्य इंजन के परिवर्तन की दशा में, नए नियम केवल उन्हीं उपस्करों और प्रणालियों पर लागू होंगे;

परंतु यह भी कि विद्यमान जलयानों को इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से वर्ष की अवधि के भीतर नियम 7 में कि निर्दिष्ट लाइफ जैक्टस, रक्षा-बोया और रक्षा-बेड़ा/उत्पलावक साधित्र और नियम 16 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा उपस्कर के उपबंधों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(2) किसी नए अंतर्देशीय जलयान के स्वामी और मास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान का संनिर्माण, रखरखाव और प्रचालन इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और यह कि जलयान, आशयित सेवाओं के लिए उपयुक्त है।

(3) किसी नए अंतर्देशीय जलयान को इस अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 के अधीन सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान जीवन रक्षक उपकरणों जो अंतर्देशीय जलयान को वहन करना चाहिए, के लिए परिकल्पना और वहन अपेक्षाओं या वे मानक या अपेक्षाएं, जो परिचालन या प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं का अनुपालन नहीं करता है ।

(4) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया सर्वेक्षक अपना समाधान करेगा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाओं का सबूत है कि अंतर्देशीय जलयान इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालित किया जाएगा।

4. उपस्कर मानक और मार्गदर्शन.— जीवन रक्षक उपकरण, उपस्कर या मशीनरी का कोई विशिष्ट भाग जो अंतर्देशीय जलयानों के साथ उपबंधित किया जाएगा या जलयान पर ले जाया जाएगा, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानक जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के अनुसार होगा।

5. जलयानों का वर्गीकरण.— इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) श्रेणी **I**- यात्री जलयान;

(2) श्रेणी II– स्थोरा जलयान या श्रेणी I, श्रेणी III के अधीन आने वाले जलयानों से भिन्न जलयान; और

(3) श्रेणी III - अधिनियम की धारा 3 के खंड (य) के उपखंड (ii) के अधीन परिभाषा के क्षेत्र के भीतर आने वाले गैर-स्वनोदित जलयान।

6. जीवन रक्षक उपकरण.— (1) श्रेणी । का अंतर्देशीय जलयान निम्नलिखित वहन करेगा –

(क) ऑन बोर्ड यात्रियों और कर्मीदल की कम से कम 100% संख्या को समायोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में रक्षा-बेडा या उत्प्लावक साधित्र, जो प्रचालन क्षेत्र और उपलब्ध बचाव सेवाओं के आधार पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी। 24 मीटर से कम लंबाई के जलयानों में, उत्प्लावक साधित्र को समतुल्य संख्या में रक्षा-बोया से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ।

(ख) ऑन बोर्ड 100% यात्रियों और कर्मीदल के प्रत्येक के लिए एक लाइफ जैकेट;

(ग) वहन करने के लिए प्रमाणित यात्रियों की कुल संख्या के 2.5% के लिए शिशु लाइफ जैकेट, जहां शिशु का मतलब 15 किलोग्राम से कम का व्यक्ति है।

(घ) वहन करने के लिए प्रमाणित यात्रियों की कुल संख्या के 10% के लिए बालक लाइफ जैकेट, और इस खंड के प्रयोजन के लिए, बालक से शिशु से भिन्न अन्य और 30 किलोग्राम से कम का व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ङ) 24 मीटर लंबाई तक के जलयानों के लिए कम से कम चार रक्षा-बोया, 24-45 मीटर लंबाई के जलयानों के लिए छह रक्षा-बोया और 45 मीटर से अधिक लंबे जलयानों के लिए 8 रक्षा-बोया और कम से कम दो रक्षा-बोया और स्व-प्रज्वलित लाईट 30 मीटर लंबाई की उत्प्लावक लाईन के साथ होंगे;

(च) 100 से अधिक यात्री क्षमता वाले सभी श्रेणी-। के जलयानों को एक लाइन थ्रोइंग साधित्र प्रदान किया जाएगा जिसमें 3 से अन्यून प्रोजेक्टाइल सम्मिलित हों, जिनमें से प्रत्येक लाइन को शांत मौसम में 230 मीटर की मामूली सीमा तक ले जाने में सक्षम हो।

(छ) 200 और उससे अधिक यात्री क्षमता वाले और 45 मीटर से अधिक लंबाई वाले प्रत्येक श्रेणी-1 जलयान में कम से कम छह व्यक्तियों की यात्री क्षमता के साथ न्यूनतम एक बचाव/वर्कबोट होगा, जिसे जलयान के दोनों ओर लॉन्च करने के लिए आवश्यक उपकरण के साथ उपबंधित किया जाएगा और बचाव/वर्कबोट्स को नियमित सर्विस करते हुए काम करने की स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए और वार्षिक सर्वेक्षणों के दौरान प्रदर्शित किया चाहिए।

(ज) कर्मीदल सभी के पास बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए; तथा

(झ) सभी नौकाओं में लाइट और हैंड टॉर्च होनी चाहिए।

(2) श्रेणी-।। का एक अंतर्देशीय जलयान निम्नलिखित वहन करेगा.— (क) 10 मीटर से अधिक के जलयान के लिए सभी कर्मीदल को समायोजित करने के लिए कम से कम एक रक्षा-बेड़ा या उत्प्लावक साधित्र होना चाहिए। 24 मीटर से कम लंबाई के जलयानों में,उत्प्लावक साधित्र को समतुल्य संख्या में रक्षा-बोया से बदला जा सकता है।

(ख) प्रत्येक ऑन बोर्ड व्यक्ति के लिए एक लाइफ जैकेट होना चाहिए।

(ग) 24 मीटर लंबाई तक के जलयानों के लिए कम से कम दो रक्षा-बोया और 24 मीटर से अधिक के लिए चार रक्षा-बोया, जो प्रति-परावर्तक टेप और 30 मीटर लंबाई की उत्प्लावक लाइन से सुसज्जित होने चाहिए।

(3) श्रेणी-।।। का एक मानवयुक्त अंतर्देशीय जलयान निम्नलिखित वहन करेगा –

(क) प्रत्येक ऑन बोर्ड व्यक्ति के लिए एक लाइफ जैकेट; और

(ख) कम से कम दो रक्षा-बोया, जो एक स्व-स्विचिंग लाइट और 30 मीटर लंबाई की उत्प्लावक लाइन से सुसज्जित होने चाहिए।

7. तकनीकी अपेक्षाएं.— (1) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा उपबंधित प्रत्येक जीवन रक्षक उपकरण, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों में अंतर्विष्ट तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और ऐसे उपस्कर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित के प्रकार होंगे ।

(2) सभी जीवन रक्षक उपकरणों को अनुमोदित योजना के अनुसार उचित रूप से रखा जाना चाहिए और इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार रखरखाव या सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

(3) रक्षा-बोया, रक्षा-बेडा और उत्प्लावक साधित्र इस तरह से बोर्ड पर लगाए जाने चाहिए कि वे जलमग्न होने पर स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम हों।

8. प्रचालनात्मक तैयारी, रखरखाव और निरीक्षण.— (1) किसी भी अंतर्देशीय जलयान के पत्तन छोड़ने से पहले और जल यात्रा के दौरान हर समय, बोर्ड पर सभी जीवन रक्षक उपकरण काम करने की स्थिति में होंगे और तत्काल उपयोग के लिए तैयार होंगे।

(2) जहां तक संभव हो, जीवन रक्षक उपकरणों के ऑन-बोर्ड रखरखाव के अनुदेशों को आसानी से समझा और चित्रित किया जाएगा।

(3) साधारण आपात सचेतक प्रणाली का साप्ताहिक परीक्षण किया जाएगा।

(4) हवा वाले रक्षा-बेडे की एक अनुमोदित सर्विसिंग स्टेशन पर 12 महीने से अनधिक के अंतराल पर सर्विस की जाएगी:

परंतु ऐसे मामलों में जहां जलयान की सेवा और अनुमोदित सर्विस स्टेशन की अवस्थिति इस अपेक्षा का अनुपालन करना असंभव बना देती है, पदाभिहित प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकता है लेकिन किसी भी मामले में इस उप-नियम के अधीन उपबंधित समय अवधि का 6 महीने से अधिक विस्तार नहीं किया जाएगा ।

(5) निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड पर लगाई जाएगी।

9. जीवन रक्षक उपकरणों की सर्विस करना.— (1) पदाभिहित प्राधिकारी की उपेक्षाओं के अनुसार रक्षा-बेड़े की वार्षिक रूप से सर्विस की जाएगी।

(2) हवा वाली लाइफजैकेट की कम से कम प्रत्येक 2 वर्षों में सर्विस की जाएगी, और जहां किसी भी हवा वाली लाइफ जैकेट का नियमित आधार पर उपयोग किया जाता है, उनकी वार्षिक रूप से सर्विस की जाएगी।

(3) बचाव या वर्कबोट्स को वार्षिक सर्विस करके काम करने की स्थिति में बनाए रखा जाएगा और वार्षिक सर्वेक्षणों के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा।

10. संसूचना के लिए लोक संबोधन या साधारण सचेतक प्रणाली.—30 मीटर से अधिक लंबाई के श्रेणी ।। और श्रेणी ।।। (मानवयुक्त) जलयानों और सभी श्रेणी । के जलयानों में एक साधारण आपात सचेतक प्रणाली, या एक लोक संबोधन प्रणाली का उपबंध किया जाएगा, जिसका उपयोग साधारण आपात सचेतक के प्रसारण के लिए और प्रथम श्रेणी के जलयानों के संबंध में किया जा सकता है, लोक संबोधन प्रणाली नियम 14 के उप-नियम (1) में की अपेक्षाओ को भी पूरा करेगी ।

11. प्रति परावर्तक सामग्री.— जीवन रक्षक उपकरणों को प्रति परावर्तक सामग्री से सज्जित किया जाएगा और सामग्री की विमाएं और अवस्थिति राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए,

12. जलबंध अभिवहन.— जलबंध से अभिविहित होने वाले जलयानों को आपात स्थिति में सचेतक बजाने के लिए एक साधन सुनिश्चित करना होगा और निम्नलिखित उपकरण वहन करेंगे:

(1) सुरक्षा साज-सज्जा और सुरक्षा रस्सी;

(2) सीढ़ी और मशाल, जैसा उपयुक्त हो;

(3) कोई अन्य उपस्कर या घटक जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए।

13. श्रेणी । के जलयानों पर आपात सूचना और लोक संबोधन प्रणाली.—(1) जलयानों में एक लोक संबोधन प्रणाली उपबंधित की जानी चाहिए, जो कम से कम किसी एक ऐसे स्थान से प्रचालित हो, जहां से जलयान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा सुना जा सके और 100 से अधिक यात्रियों या 30 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी जलयानों में कम से कम दो पृथक स्थानों से प्रचालनीय लोक संबोधन प्रणाली होनी चाहिए।

(2) 50 से अनधिक यात्रियों का वहन करने वाले जलयानों में, जिनमें यात्रियों का केवल एक ही यात्री कक्ष या स्थान होता है, वहां उप-नियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित संबोधन प्रणाली के बजाए एक वहनीय भौंपू का वहन किया जा सकता है।

(3) जब लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो मनोरंजन प्रणाली स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी और जलयानों पर भौंपू को हाथों से बंद करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(4) इस प्रणाली का उपयोग यात्रियों को आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा, जिसके कारण जलयान को छोड़ दिया जा सकता है और ऐसी जानकारी,बर्थ छोड़ने से पहले या तुरंत दी जाएगी। उप नियम (7) में विनिर्दिष्ट मदे प्रदान की गई जानकारी का भाग होगी ।

स्पष्टीकरण: उन जलयानों के मामले में, जो अल्प अवधि की नियमित फैरी सेवा संचालित करते हैं, जहां अनुपालन के परिणामस्वरूप सुरक्षा संदेश का बारंबार अत्यधिक प्रसारण होगा, अन्य इंतजामों पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसे इंतजाम में सुसंगत सुरक्षा सूचना पर ध्यान आकर्षित करना शामिल हो सकता है।

(5) एक लोक संबोधन प्रणाली विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत से और मुख्य स्रोत से दूरस्थ स्थान पर स्थित विद्युत शक्ति के वैकल्पिक स्रोत से संचालित की जाएगी और भौंपू के लिए बैटरी बैक-अप या अतिरिक्त बैटरी का वहन किया जाएगा।

(6) यात्री आपात अनुदेश सूचना प्रत्येक यात्री कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित की जाने वाली संख्या कक्षों के लेआउट और जलयान की सेवा पर निर्भर करेगी।

(7) उप-नियम (6) में यथा अनुबद्ध सूचना की अपेक्षा, प्रतीक्षा कक्षों और टर्मिनलों में भी उपबंधित की जाएगी, जहां व्यवहार्य हो और नोटिस में दी गई जानकारी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) यात्रियों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति, कि कोई आपात स्थिति घटित हो गई हैं;

(ख) कार्रवाई जो उन्हें करने की आवश्यकता होगी;

(ग) जीवन रक्षक उपस्कर का उपयोग कैसे करें;

(घ) लाइफजैकेट कैसे धारण करें; तथा

(ङ) लाइफजैकेट कहां ले जायी जाती है।

14. श्रेणी । जलयानों के लिए खोज और बचाव (एसएआर) अपेक्षाएं.— (1) 50 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले सभी यात्री जलयानों को जलयान के प्रचालन क्षेत्र के लिए सुसंगत आपात सेवाओं के साथ सहयोग के लिए एक सहमत और अद्यतित योजना का वहन करना चाहिए ।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, यात्री जलयान, कंपनी तथा खोज और बचाव सेवाओं के संक्षिप्त विवरण का आदान-प्रदान करने एवं उपयोग के लिए तैयार रखा जाना चाहिए और इसमें सीधे संपर्क विवरण शामिल होगा।

(3) योजना की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए कालिक रूप में अभ्यास किया जाएगा।

(4) ऐसे अभ्यासो का अभिलेख और प्रतिभागियों के नाम अनुरक्षित किए जाएंगे।

15. सुरक्षा उपस्कर योजना.— (1) 24 मीटर और उससे अधिक लंबाई के सभी जलयानों में एक सुरक्षा उपस्कर योजना उपदर्शित की जानी चाहिए जो विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों के स्थान को दर्शाती हो और आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी अग्नि नियंत्रण और अग्निशामक उपकरणों को बोर्ड पर स्थापित/ वहन किए जाएंगे ।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 425(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 140(E) dated the 22nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd February, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51 and clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clause (zl) and (zza) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Inland Vessels Act, 2021(24 of 2021);

(b) "existing vessel" or "existing inland vessel" means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition of "inland vessel" as defined in clause (q) of section 3 of the Act;

(c) "major conversion or modification" means any of the following-

(i) change in gross tonnage of the vessel by more than ten per cent.;

(ii) change of vessel type;

(iii) change of propulsion system or main engines or type of fuel.

(d) "new inland vessel" means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming into force of these rules.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Compliance by existing inland vessels.- (1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules:

Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified under these rules, as may be considered necessary by the Designated Authority:

Provided further that in the case of change of propulsion system or main engines, the new rules shall apply to that equipment and systems only:

Provided also that existing vessels shall comply with the requirements of provision of life jackets, life buoys and life-raft or buoyant apparatus specified in rule 7 and the safety equipment plan specified in Rule 16 within one year from the date of coming into force of these rules.

(2) The owner and master of any new inland vessel, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated in accordance with the requirements of these rules and that the vessel is suitable for its intended service.

(3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Act and the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the design and carriage requirements for life saving appliances that the inland vessel shall carry, or those standards or requirements that are operational or procedural in nature.

(4) For the purpose of these rules, the Surveyor appointed under the Act shall satisfy himself that there is evidence of procedures in place to demonstrate that the inland vessel shall be operated in accordance with the requirements under these rules.

4. Equipment Standards and Guidance.- Any particular piece of life saving appliances, equipment or machinery that the inland vessels shall be provided with or carried onboard shall be in accordance with a national or international standard such as the Bureau of Indian Standards (BIS) or the International Organization for Standardisation (ISO).

5. Classification of vessels.- For the purposes of these rules, the inland vessels shall be classified as-

Class I – Passenger vessels;

Class II – Cargo vessels and vessels other than those falling under Class I and Class III; and

Class III - Non-self propelled vessels falling within the ambit of the definition under sub-clause (ii) of clause (y) of section 3 of the Act.

6. Life Saving Appliances.- (1) An inland vessel of Class I shall carry -

(a) sufficient number of life-rafts or buoyant apparatus to accommodate at least 100% number of passengers and crew on board and the number of life rafts or buoyant apparatus may be as decided by the Designated Authority depending on area of operation and rescue services available and in vessels of less than 24 metres in length, buoyant apparatus may be replaced with equivalent number of life buoys;

(b) one life jacket each for 100% of passengers and crew on board;

(c) life jacket for infant, for 2.5% of total number of passengers certified to carry, where infant means person below 15 kilograms;

(d) life jacket for child, for 10% of total number of passengers certified to carry and for the purpose of this section, child means person other than infant and below 30 kilograms;

(e) at least four lifebuoys for vessels up to 24 meters length, six life buoys for vessel 24-45 meters length and 8 life buoys for vessels greater than 45 meters length and at least two of the life buoys shall be with self-igniting light and buoyant line of 30 metres in length;

(f) all class I vessels with passenger capacity more than 100 passengers shall be provided with a line throwing apparatus which includes not less than 3 projectiles with line each capable of carrying the line to a nominal range of 230 meters in calm weather;

(g) every vessel of Class I passenger capacity of 200 and above passengers and having length more than 45 metres shall have at least one rescue or workboat with minimum passenger capacity of six persons, which shall be provided with necessary equipment for launching on either side of the vessel and the rescue or workboats are to be maintained in working condition by regular servicing and demonstrated during annual surveys;

(h) all crew should possess sufficient training in rescue and first aid; and

(i) all boats shall have search lights and hand torches.

(2) An inland vessel of class II shall carry –

(a) at least one life raft or buoyant apparatus to accommodate all crew for vessel over 10 meters and in vessels of less than 24 metres in length, buoyant apparatus may be replaced with equivalent number of life buoys;

(b) one life jacket for each person on board; and

(c) at least two life buoys for vessels up to 24 meters length and four life buoys for above 24 meters of which one shall be equipped with retro-reflective tapes and buoyant line of 30 metres in length.

(3) A manned inland vessel of class III shall carry –

(a) one life jacket for each person on board; and

(b) at least two life buoys, one of which shall be equipped with self- switching light and buoyant line of 30 metres in length.

7. Technical requirements.- (1) Every lifesaving appliances provided as per provisions of these rules shall meet the technical requirements contained in national or international standards and such equipment shall be type approved by the Designated Authority.

(2) All life-saving appliances shall be properly stowed as per the approved plan and maintained or serviced as per the requirements of these rules.

(3) Life buoys, life rafts and buoyant apparatus shall be placed on board in such a way, to be capable of being float - free on submerging.

8. Operational readiness, maintenance and inspection.- (1) Before any inland vessel leaves port and at all times during the voyage, all life-saving appliances on board shall be in working order and ready for immediate use.

(2) Instructions for on-board maintenance of life-saving appliances shall be easily understood and illustrated where possible.

(3) The general emergency alarm system shall be tested weekly.

(4) Inflatable life-rafts shall be serviced at intervals of not more than 12 months at an approved servicing station:

Provided that, in cases where the service of a vessel and the location of approved service station make it impossible to comply with this requirement, the Designated Authority may allow this period to be extended but in no case shall the extension of time period provided under this sub-rule shall be more than 6 months.

(5) A copy of the report of the inspection shall be retained on board.

9. Servicing of life saving appliances.- (1) Liferafts shall be serviced annually in accordance with the requirements of the Designated Authority.

(2) Inflatable lifejackets shall be serviced at least every 2 years, and where any inflatable lifejackets are used on a regular basis, they shall be serviced annually.

(3) Rescue or workboats are to be maintained in working condition by annual servicing and demonstrated during annual surveys.

10. Public address or general alarm system for communications.- Class II and Class III (manned) vessels of more than 30 metres in length and all Class I vessels shall be provided with a general emergency alarm system or a public address system, which can be used for broadcasting a general emergency alarm and with respect to class I vessels, the public address system shall also meet the requirements of sub-rule (1) of rule 14.

11. Retro-reflective material.- Life-saving appliances shall be fitted with retro-reflective material and the dimensions and location of the material shall be in accordance with national or international standards.

12. Lock Transits.- Vessels transiting locks shall ensure a means of raising alarm in the case of an emergency and shall carry equipment such as-

(1) safety harness and safety rope;

(2) ladders and torches, as appropriate; and

(3) any other equipment or components as may be specified by the Competent Authority from time to time.

13. Emergency information and public address systems on Class I vessels.- (1) Vessels are to be provided with a public address system operable from at least one point that can be heard by all persons onboard and all vessels carrying more than 100 passengers or more than 30 metres in length shall have a public address system operable from at least two well separated points.

(2) In vessels carrying not more than 50 passengers in which the passengers have access to only one passenger compartment or space, a portable loud hailer may be carried in lieu of the a public address system as required under sub-rule (1).

(3) Entertainment systems shall be turned off automatically when the public address system is used and option for manual shut off shall be available on vessels with loud hailers.

(4) The system shall be used to inform the passengers of the action they shall take in the event of an emergency which may lead to the vessel being abandoned and such information, shall be given either prior to or immediately on leaving the berth. The items specified in sub rule (7) shall be part of the information provided.

Explanation.- In the case of vessels which operate regular ferry service of short duration where compliance would result in very frequent broadcasting of the safety message, other arrangements shall be considered by the Designated authority and such arrangements may include drawing attention to the relevant safety notices and the like.

(5) A public address system shall be powered from the main source of electrical power and from an alternative source of electrical power situated in a location remote from the main source and the battery back-up or spare batteries shall be carried for loudhailers.

(6) Passenger emergency instructions notice shall be displayed in each passenger compartment and the number to be displayed shall depend on the layout of the compartments and the service in which the vessel is engaged.

(7) The requirement of notice as stipulated in sub-rule (6), shall also be provided in waiting rooms and terminals, where practicable and the information provided in the notice shall include-

(a) the method to be used to inform passengers that an emergency has occurred;

(b) the action that is required to be taken;

(c) how to use the life-saving equipment;

(d) how to don a lifejacket; and

(e) where lifejackets are carried.

14. Search and rescue (SAR) requirements for Class I vessels.- (1) All passenger vessels carrying more than 50 passengers shall carry an agreed and up to date plan for co-operation with relevant emergency services for the vessel's area of operation.

(2) For the purpose of this rule, brief details of the passenger vessel, the company and the search and rescue services shall be exchanged and maintained ready for use and shall include direct contact details.

(3) Exercises shall be undertaken periodically to test the plan's effectiveness.

(4) Records of such exercises and names of participants shall be maintained.

15. Safety equipment plan.- All vessels of 24 metres length and over are to have a safety equipment plan displayed on board showing the location of various life saving appliances and all the fire control and fire fighting appliances fitted or carried on board to be used in an emergency.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.06.08 16:23:26 +05'30'